


05/12/19

श्रीमान् जिला कलेक्टर बाड़मेर को आदेश क्रमांक प. 20/19 दि. 17.4.18 की प्रतीति के अन्तर्गत सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) बाड़मेर को स्थानांतरित की जाती है।


सहायक कलेक्टर
(SDO) बाड़मेर

05/12/19

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) से सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) के रूप में कार्य करने के लिए आदेश जारी किया गया है जो कि पत्राचार के माध्यम से प्रत्येक दिन जारी किया जाएगा।
05/12/19



सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर

05/03/20

वादी अनु०। कबील वादी अनु०।
वादी एवम् कबील वादी को उपस्थित
हमम हममादि तब अलग-2 हमम में
लीन कार ठीकाणे लगाई गई। वादी या
कबील वादी उपस्थित नहीं हुए।

अतः वादी का यह वाद अडम
पैरने अडम बाजरी में खारिज किया जाता
है।

पत्रावली सुमार फिले लेकड
दाखल दफ्तर में।


सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर